न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 87/2020 – निगरानी

1. जहीर खां पिता मोहम्मद जमील निवासी भदालीखेड़ा हाल निवासी मोहमदी कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. रमजान पुत्र मोहम्मद हनिफ खान निवासी भदालीखेड़ा हाल मुकाम मोहमदी कॉलोनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत आरजिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

विरूद्ध संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 28.08.2017, पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.08.2017 को ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद वासीफ खान पठान – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सबदर अली – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणो के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 का आवासीय पट्टा जो संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20.08.2017, पटटा संख्या 15 दिनांक 28.08.2017 को गैर निगराकर संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो फर्जी व कुटरचित एवं मिथ्या होने की वजह से निरस्त होने योग्य है एवं गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलीभगत कर पट्टा जारी कर उप पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा से पंजीयन करवाया लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार के दादा को आज से करीब 60 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मांलोला द्वारा भूखण्ड दिया गया, जो तत्कालीन प्रचिलित विधिनुसार दिया गया था, जिस पर निगराकार के दादा अहमदनुर पठान के नाम पर जारी किया गया था तथा निगराकार के दादा का जीवनपर्यन्त उसका कब्जा रहा था तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त निगराकार की दादी एवं

होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। गैर निगराकार संख्या 01 की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो उसका उक्त भूखण्ड पर 25 वर्ष से पूर्व का कब्जा केसे हो सकता है तथा उक्त जायदाद में गैर निगराकार संख्या 01 का न कभी कब्जा रहा है न कभी भुगतभोग रही है। उक्त भूखण्ड के पट्टे संबंधी तमाम कार्यवाहियों गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत आरजिया के सरपंच एवं सचिव से मिलकर पौसीदा तौर पर पंचायत भवन में बैठकर की है, मात्र निगराकार की दादी एवं उसके वारिसान जो कि विगत 60 वर्षों से कब्जे को, क्षति पहुंचाने की गरज से यह जानते हुए कि उक्त जायदाद अपनी नहीं है, जिसका गलत तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं कब्जे की अनदेखी करते हुए आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत में बैठकर फर्जी रेकॉर्ड तैयार कर फर्जी तरीके से गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर नियमविरूद्ध आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार नं. 01 के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली दर्ज करने के बाद पत्रावली शुल्क जमा होने बाबत् लिखकर सचिव द्वारा मौका नक्शा बनाने की कार्यवाही भी खाली कागजों में की है। विवादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण मौके पर जाकर नहीं किया गया है। महज पंचायत भवन में बैठकर खानापूर्ति की गई। यदि मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाता है तो भूखण्ड की वस्तुस्थिति सामने आ जाती, लेकिन बिना किसी आधार के उक्त भूखण्ड का आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है। पंचायत नियम के अनुसार आबादी भूमि का विक्रय पंचायत राज नियम 1996 के नियम 141 लगायत 165 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। इन सभी नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने का आदेश देकर पट्टा जारी किया, जो सरासर पंचायतीराज अधिनियम के विपरीत होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है। पट्टे शुदा जायदाद के आस पड़ौस से भी कब्जे के संबंध में कोई जानकारी हासिल नहीं की गयी, और न ही पंचायत राज में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उक्त पट्टा जारी किया गया। बल्कि सरपंच ने पंचायत नियमों के विपरीत गलत पट्टा जारी किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जायदाद के संबंध में एक प्रकरण निगराकार, उसकी दादी व उसके वारिसान ने न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय (पश्चिम) भीलवाड़ा में पेश किया, उक्त विवादित जायदाद बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसकी मौका रिपोर्ट न्यायालय में आई, जिसकी प्रमाणित प्रति हमराह निगरानी पेश की जा रही है, जो निगरानी का

न्यायालय श्री. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अंकित किया हैं कि प्रश्नगत पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अनदेखी कर पटटा जारी किया हैं। इस प्रकार निगराकार ने स्वयं ही विरोधाभास की स्थिति प्रकट की है, कि ग्राम पंचायत द्वारा यदि प्रश्नगत पटटा जारी ही नही किया गया है, तो नियमों की उल्लघंना किस प्रकार हुयी ? इस हेतु निगराकार की ओर से कोई जवाब/प्रमाणिक साक्ष्य व दस्तावेजात पेश नही किये गये।

निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे पर स्वयं का पुश्तैनी कब्जा हैं, किन्तु निगराकार ने निगरानी मेमों के बिन्दु संख्या 10 में अंकित किया हैं कि मौके पर कोई मकान नही हैं, इस प्रकार निगराकार के उक्त कथनों में स्पष्ट विरोधाभास जाहिर होता हैं, कि मौकें पर कोई मकानात आदि नही है, तो निगराकार का किस पर कब्जा है। निगराकार ने कब्जे से संबंधित कोई प्रमाणित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

निगराकार ने पटटे व मिसल की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पटटा वैध है अथवा अवैध, जबकि नियमानुसार Burdon of proof स्वयं निगराकार का होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अंस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)